(ग) किन-किन व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 22-10-1986 को हिन्दुस्तान मे "जाली पासपोर्ट के धन्धे मे आतकवादी भी शामिल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है , और

(ड) भविष्य मे ऐसे जाली कार्य को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये है ?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ड) ललित माकन, अर्जुन दास और जनरल ए० एस० वैद्य की हत्या के मामलों की जाच पडताल के दौरान दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पता लगाया कि कुछ ट्रेवल एजेन्ट/पारपत्र/वीजा की जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त है और कुछ आतकवादी जिनकी तलाश थी, को जाली पारपत्रो/वीजाओ पर विदेशो को भेज दिया गया है । सरकार ने 22 अक्तूबर, 1986 के हिन्दुस्तान (हिन्दी सस्करण) मे प्रकाशित समाचार भी देखा है ।

दो मामले दर्ज किए गए है और इन मामलो मे निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है —

मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 239 दिनांक 14-9-86 थाना कालकाजी

(1) बलदेव सिंह
(2) कशमीरा सिंह
(3) सूचा सिंह राय
(4) ओम प्रकाश बक्शी

मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट स०-437 दिनांक 11-10-86 थाना अशोकविहार

(1) उसमान अली
(2) वेद पाल सैन
(3) रवि कुमार
(4) मोहन लाल
(5) सुन्दर लाल चावला
(6) मो० युसफ
(7) सूचा सिंह राय
(8) महेश चन्द्र
(9) किशन चन्द
(10) ओम प्रकाश उर्फ ओमी
(11) महीपाल सिंह
(12) प्रताप सिंह

इस सबध मे निम्नलिखित वस्तुए जब्त की गई थीं :—

(1) 287 पारपत्र ।
(2) चार रगो की स्याही ।
(3) तीन रंगो के स्टेम्प पैड ।
(4) एक क्विक फिक्स की ट्यूब ।
(5) एक फैबीकोल ट्यूब ।
(6) स्याही मिटाने की तीन बोतलें ।
(7) पारपत्र आकार के 69 फोटोग्राफ
(8) एक छोटी केची ।
(9) बडी संख्या मे दस्तावेज ।

इस प्रकार की गतिविधियो का पता लगाने के लिए आसूचना एकत्र की जाती है और इन गतिविधियो मे अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियो के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन

@*352. **श्री नरेश सी० पुगलिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार देश के अन्य पिछडे क्षेत्रो के आर्थिक विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का विचार रखती है,

---

@पूर्वत तारांकित प्रश्न 272, 21 नवम्बर, 1986 से स्थानान्तरित ।

(ख) यदि नही, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और यदि हां, तो इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ;

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने दो साल पहले केन्द्रीय सरकार का संविधान की धारा 371 (2) के अतर्गत राज्य विकास बोर्ड के गठन के लिये अपनी कोई सिफारिश भेजी थी ; और यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय लिया जा चुका है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भोतर पिछड़े क्षेत्रों का विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उत्तरदायित्व है, इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पैट्रन पर किसी समिति का गठन करने का प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

(ग) विदर्भ और मराठवाडा-महाराष्ट्र राज्य के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रो मे है । राज्य सरकार ने अपने सातवीं योजनाओ में इन क्षेत्रों के लिए सड़कों के विकास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामान्य और तकनीकी शिक्षा, श्रम और श्रमिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओ, जल आपूर्ति, भूमि विकास और भू-संरक्षण और पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यक्रम शामिल किए हैं ।

(घ) और (ङ) जी, हा । राज्य सरकार के परामर्श से इस मामले मे कार्रवाई की जा रही है ।

Conversation in Hindi with foreign dignitaries

*353. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently the diplomats, Ministers and Ministerial delegations have been directed to converse in Hindi with foreign dignitaries abroad, to project there a proper image of India;

(b) whether it is also a fact that Indian delegates at UNO have also been directed to use Hindi in UNO for the same reasons; and

(c) if so, whether the same directive be applicable in conversation with foreign dignitaries in India?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) Yes, Sir. A circular letter was sent to all Missions requesting them to advise/persuade members of Indian delegations going abroad to make use of Hindi, to the extent considered practical and expedient, during discussions with their counterparts Ministry of External Affairs will provide facilities for interpretation. These instructions will apply, to the extent practical and expedient when foreign dignitaries visit India These gudelines are purely advisory.

Counterfeit coins in Delhi

*354. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gang making counterfeit Coins of Rupees 100 denomination, has been uncarthed in Delhi recently; and

(b) the details of action taken against the persons who were found responsible in this regard and whether any arrests have been made?